

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email-rofaizabad@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ सं०
Ref. No. : 92/OA/NO-719/2023/2024

दिनांक :
Dated : 23.4.2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Action taken report with respect to Order dated 23.02.2024 Passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 719/2023 "mafiayo ko kisi ka dar nahi is jile me beroktok ho raha avaidh khanan" appearing in Hindustan dated 22.11.2023.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 23.02.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 719/2023 "mafiayo ko kisi ka dar nahi is jile me beroktok ho raha avaidh khanan" appearing in Hindustan dated 22.11.2023, please find attached herewith the **Action Taken Report** on behalf of U.P. Pollution Control Board for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

(Dr. T.N. Singh)
Regional Officer

CC:- CEO-6 for information as per your direction vide letter no.H09777/C-6/Sa- 814/O.A. No- 719/23-24 dated 22/04/2024 for further necessary action.

23/02/2024
Regional Officer

Action Taken Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 23.02.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 719 of 2023 In News Item titled "Mafiayo ko kisi ka dar nahi is jile me beroktok ho raha avaidh khanan" appearing in Hindustan dated 22.11.2023.

1. That vide its order dated 23.02.2024 this Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the directions. The relevant excerpt of the aforesaid direction is as follows:-

".....5. Learned Counsel for the UPPCB, seek a weeks' time to file the report indicating the action taken by the UPPCB against those who had carried out mining without obtaining CTO. In that report, the UPPCB will also disclose as to how the lease holder, (the details of whom are disclosed in paragraph 4.5) have been permitted mining after expiry of DSR issued in 2017....."

1. That in compliance to the order dated 18.12.2023 passed by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 719 of 2023, a Joint Committee Report dated 16.02.2024 has been submitted by the District Magistrate, Ambedkar Nagar on 19.02.2024 vide letter no. 569 /Khanan Anubhag /Harit Adhikaran/2024 before the Hon'ble Tribunal, New Delhi.

mlc

2. That in pursuance to the Joint Committee Report dated 16.02.2024, the details of mining sites are tabulated below:

S.No.	Name and Address of Mining Lease Holder	Location and Area of Mining	Period of Mining Operation (Excluding Rainy Season)
1.	Sri Gaurav Singh S/o Sri Vindhyachal Singh, R/o Vill-Dulhupur, Tehsil- Jalalpur, District- Ambedkar Nagar	Gata No. 04 Kha, Area- 3.421 Hec., Village- Majha, Ismailpur, Beldaha, Tehsil -Tanda, District- Ambedkar Nagar.	From 24.01.2018 to 18.12.2018 (237 Days)
2.	Sri Shiv Prasad Chaudhary S/o Sri Rampheer, R/o Vill- Jaipurwa, Ghandhi Nagar, District- Ambedkar Nagar	Gata No. 830 Mi, 831, 832, Area- 5.50 Hec., Village- Ajmeri Badshahpur, Tehsil- Tanda, District- Ambedkar Nagar.	From 03.01.2019 to 28.06.2020 (451 Days)
3.	Sri Ram Bahadur S/o Sri Vishesar, R/o Vill-Chaubepur, Chakrsoolpur, Navabganj, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda	Gata No. 24 Mi, Area- 5.05 Hec., Village - Majha, Vargi Nijampur, Tehsil-Tanda, District- Ambedkar Nagar.	From 27.01.2018 to 21.07.2021 (996 Days)
4.	Sri Ashish Kumar Jaiswal S/o Late. Vashishth Kumar, R/o Vill- Rudhauri, District-Basti	Gata No. 01 Mi, Area- 10.50 Hec., Village- Majha, Faridpur, Tappa- Haveli, Tehsil-Alapur, District- Ambedkar Nagar.	From 14.11.2018 to 29.12.2020 (593 Days)
5.	Sri Ajay Kumar S/o Sri Jai Parkas, R/o Villa- Ishwar Nagar, Itifatganj, Tehsil- Tanda, District- Ambedkar Nagar	Gata No. 01 Mi, Area- 7.5 Hec., Village- Majha, Isaury Naseerpur, Tehsil-Alapur, District- Ambedkar Nagar.	From 19.12.2018 to 28.06.2020 (466 Days)

3. That the District Mining Officer, Ambedkar Nagar vide letter dated 19.03.2024 has informed to the Regional Office, UP Pollution Control Board, Ayodhya that the quantity of mining mineral excavated from the lease area of the above mentioned 05 leases from the date of commencement of the lease till the date of lease cancellation is less in comparison to the sanctioned quantity. The copy of the letter dated 19.03.2024 is being enclosed herewith as **Annexure No-1** to this report.

4. That in pursuance to the Joint Committee Report dated 16.02.2024, show cause notices dated 15.04.2024 have been issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board against the responsible 05 Lease Holders in question for imposition of Environmental Compensation in accordance with the Guideline prepared by CPCB titled as "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund" for doing mining by them without obtaining prior consent to operate under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The details of the said show cause is tabulated below:

S.No.	Name and Address of Mining Lease Holder	Period of Mining Operation (Excluding Rainy Season)	Amount of Environmental Compensation for Show Cause Notice
1.	Sri Gaurav Singh S/o Sri Vindhyaachal Singh, R/o Vill-Dulhupur, Tehsil- Jalalpur, District- Ambedkar Nagar	From 24.01.2018 to 18.12.2018 (237 Days)	₹ 14,81,250/-
2.	Sri Shiv Prasad Chaudhary S/o Sri Rampheer, R/o Vill-Jaipurwa, Gandhi Nagar, District- Ambedkar Nagar	From 03.01.2019 to 28.06.2020 (451 Days)	₹ 45,10,000/-
3.	Sri Ram Bahadur S/o Sri Vishesar, R/o Vill-Chaubepur, Chakrsoolpur, Navabganj, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda	From 27.01.2018 to 21.07.2021 (996 Days)	₹ 99,60,000/-
4.	Sri Ashish Kumar Jaiswal S/o Late. Vashishth Kumar, R/o Vill- Rudhauri, District-Basti	From 14.11.2018 to 29.12.2020 (593 Days)	₹ 59,30,000/-
5.	Sri Ajay Kumar S/o Sri Jai Parkas, R/o Villa- Ishwar Nagar, Iltifatganj, Tehsil- Tanda, District- Ambedkar Nagar	From 19.12.2018 to 28.06.2020 (466 Days)	₹ 46,60,000/-

mf

The copy of the Show Cause Notices dated 15.04.2024 are being collectively enclosed herewith as **Annexure No-2** to this report.

The above report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before the Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration please.

Dr TN Singh
23/04/2024

(Dr TN Singh)
Regional Officer
UP Pollution Control Board
Ayodhya

प्रेषक,

जिला खनन अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अयोध्या।

पत्रांक 793 / खनन अनुभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण / 2024 दिनांक 19 मार्च, 2024
विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-719/2023
News Item titled "माफियाओं का किसी का डर नहीं, इस जिले में
बेरोकटोक हो रहा अवैध खनन" appearing in Hindustan dated 22.11.
2023 स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन
के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 1077/ओ0ए0नं0-719/2023
/2024 दिनांक 07.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करे जिसके अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर
के तहसील आलापुर जनपद के ग्राम इसीरी नसीरपुर व माझा फरीदपुर तप्पा हवेली एवं तहसील टाण्डा
के ग्राम इस्माइलपुर बेल्दहा, अजमेरी बादशाहपुर व वर्गीनिजामपुर में पूर्व से संचालित खनन पट्टों की
स्थिति/विवरण निम्नवत है:-

1-ग्राम माझा इस्माइलपुर बेलदहा तहसील.टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर।

- 1.1 खनन क्षेत्र घाघरा सरयू नदी के ग्राम माझा इस्माइलपुर बेल्दहा तहसील टाण्डा के गाटा संख्या 4 ख में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 3.421 हेक्टेयर है।
- 1.2 रॉयल्टी न जमा करने के कारण दिनांक 19.12.2018 को पट्टा निरस्त करने के उपरान्त से खनन कार्य बंद है एवं 05 वर्ष से अधिक समय से कोई खनन कार्य नहीं किया गया है।
- 1.3 दिनांक 04.09.2017 के नीलामी सूचना के उपरान्त खनन पट्टा श्री गौरव सिंह पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह निवासी ग्राम ग्राम दुल्हूपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर को प्रदान किया गया था।
- 1.4 जिला प्रशासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु 3.421 हे0 क्षेत्रफल पर 82104 घनमीटर प्रतिवर्ष साधारण बालू के खनन हेतु दिनांक 28.10.2017 को आशय पत्र/एल0ओ0वाई जारी किया गया था।
- 1.5 परियोजना प्रस्तावक ने 16.01.2018 को जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) प्राप्त की थी।
- 1.6 दिनांक 24.01.2018 को पट्टाविलेख निष्पादन के उपरान्त पट्टा धारक द्वारा दिनांक 24.01.2018 को खनन का कार्य शुरू किया गया था।
- 1.7 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पोर्टल के अनुसार स्वीकृत मात्रा 82104 घन मीटर (पट्टाविलेख के अनुसार) के सापेक्ष खनन प्रारम्भ होने से लेकर पट्टा निरस्तीकरण के दिनांक तक कुल 70989 घन मीटर साधारण बालू का उत्खनन किया गया है।

2-ग्राम अजमेरी बादशाहपुर तहसील.टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर

- 2.1 खनन क्षेत्र घाघरा सरयू नदी के ग्राम अजमेरी बादशाहपुर तहसील टाण्डा के गाटा संख्या 830मि0, 831,832 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 5.50 हेक्टेयर है।

- 2.2 रॉयल्टी न जमा करने के कारण दिनांक 29.06.2020 को पट्टा निरस्त करने के उपरान्त से खनन कार्य बंद है एवं 03 वर्ष से अधिक समय से कोई खनन कार्य नहीं किया गया है।
- 2.3 दिनांक 22.05.2018 के नीलामी सूचना के उपरान्त खनन पट्टा श्री शिव प्रसाद चौधरी पुत्र श्री रामफेर ग्राम जयपुरवा गांधी नगर जिला अम्बेडकर नगर को प्रदान किया गया था।
- 2.4 जिला प्रशासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु 5.50 क्षेत्रफल पर 93500 घनमीटर प्रतिवर्ष साधारण बालू के खनन हेतु दिनांक 19.06.2018 को आशय पत्र/एल0ओ0वाई जारी किया गया था।
- 2.5 परियोजना प्रस्तावक ने 18.12.2018 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से (EC) प्राप्त की थी।
- 2.6 दिनांक 03.01.2019 को पट्टाविलेख निष्पादन के उपरान्त पट्टा धारक द्वारा दिनांक 03.01.2019 को खनन का कार्य शुरू किया गया था।
- 2.7 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पोर्टल के अनुसार स्वीकृत मात्रा 93500 घन मीटर (पट्टाविलेख के अनुसार) के सापेक्ष खनन प्रारम्भ होने से लेकर पट्टा निरस्तीकरण के दिनांक तक कुल 40059 घन मीटर साधारण बालू का उत्खनन किया गया है।

3- ग्राम माझा वर्गी निजामपुर तहसील टाण्डा जनपद, अम्बेडकरनगर

- 3.1 खनन क्षेत्र घाघरा सरयू नदी के ग्राम माझा वर्गी निजामपुर तहसील टाण्डा के गाटा संख्या 24 मि0 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 5.05 हेक्टेयर है।
- 3.2 रॉयल्टी न जमा करने के कारण दिनांक 22.07.2021 को पट्टा निरस्त करने के उपरान्त से खनन कार्य बंद है एवं 02 वर्ष से अधिक समय से कोई खनन कार्य नहीं किया गया है।
- 3.3 दिनांक 04.09.2017 के नीलामी सूचना के उपरान्त खनन पट्टा श्री रामबहादुर पुत्र विशेषर ग्राम चौबेपुर चक्रसूलपुर नवाबगंज तहसील तरबगंज जिला गोण्डा को प्रदान किया गया था।
- 3.4 जिला प्रशासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु 5.05 क्षेत्रफल पर 121200 घनमीटर प्रतिवर्ष साधारण बालू के खनन हेतु दिनांक 08.11.2017 को आशय पत्र/एल0ओ0वाई जारी किया गया था।
- 3.5 परियोजना प्रस्तावक ने 23.01.2018 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से (EC) प्राप्त की थी।
- 3.6 दिनांक 27.01.2018 को पट्टाविलेख निष्पादन के उपरान्त पट्टा धारक द्वारा दिनांक 27.01.2018 को खनन का कार्य शुरू किया गया था।
- 3.7 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पोर्टल के अनुसार स्वीकृत मात्रा 484800 घन मीटर (पट्टाविलेख के अनुसार) के सापेक्ष खनन प्रारम्भ होने से लेकर पट्टा निरस्तीकरण के दिनांक तक कुल 265036 घन मीटर साधारण बालू का उत्खनन किया गया है।

4- ग्राम इसौरी नसीरपुर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर

- 4.1 खनन क्षेत्र घाघरा सरयू नदी के ग्राम इसौरी नसीरपुर तहसील आलापुर के गाटा संख्या 01 मि0 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 7.50 हेक्टेयर है।
- 4.2 रॉयल्टी न जमा करने के कारण दिनांक 29.06.2020 को पट्टा निरस्त करने के उपरान्त दिनांक 09.05.2022 को पुनः विज्ञापित किया गया था।
- 4.3 दिनांक 27.02.2018 के नीलामी सूचना के उपरान्त खनन पट्टा श्री अजय कुमार पुत्र जय प्रकाश ग्राम ईश्वर नगर इल्लिफातगंज तहसील टांडा जिला अम्बेडकरनगर को प्रदान किया गया था।
- 4.4 जिला प्रशासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु 7.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 112500 घनमीटर प्रतिवर्ष साधारण बालू के खनन हेतु दिनांक 24.04.2018 को आशय पत्र/एल0ओ0वाई जारी किया गया था।

फ

- 5 परियोजना प्रस्तावक ने 26.10.2018 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पर्यावरणीय मंजूरी (EC) प्राप्त की थी। दिनांक 19.12.2018 को पट्टाविलेख निष्पादन के उपरान्त पट्टा धारक द्वारा दिनांक 19.12.2018 को खनन का कार्य शुरू किया गया था।
- 4.6 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पोर्टल के अनुसार स्वीकृत मात्रा 225000 घन मीटर (पट्टाविलेख के अनुसार) के सापेक्ष खनन प्रारम्भ होने से लेकर पट्टा निरस्तीकरण के दिनांक तक कुल 52743 घन मीटर साधारण बालू का उत्खनन किया गया है।
- 4.7 वर्तमान खनन पट्टा ई-नीलामी सूचना दिनांक 09.05.2022 के अनुसार मेसर्स जायसवाल राईस दाल एण्ड ऑयल मिल प्रोपराइटर रामजी जयसवाल मरयटिया बांसी रोड जनपद बस्ती को प्रदान किया गया है। ई0सी0 एवं सी0टी0ओ0 प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 16.01.2024 को पट्टाविलेख निष्पादन के उपरान्त पट्टा धारक द्वारा दिनांक 16.01.2024 को खनन का कार्य शुरू किया गया है जो कि वर्तमान में संचालित है।

5- ग्राम माझा फरीदपुर टप्पा हवेली तहसील आलापुर जिला अम्बेडकर नगर

- 5.1 खनन क्षेत्र घाघरा सरयू नदी के ग्राम माझा फरीदपुर टप्पा तहसील आलापुर के गाटा संख्या 01 मि0 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 10.50 हेक्टेयर है।
- 5.2 रॉयल्टी न जमा करने के कारण दिनांक 30.12.2020 को पट्टा निरस्त करने के उपरान्त से खनन कार्य बंद है एवं 03 वर्ष से अधिक समय से कोई खनन कार्य नहीं किया गया है।
- 5.3 दिनांक 27.02.2018 के नीलामी सूचना के उपरान्त खनन पट्टा श्री आशीष कुमार जायसवाल पुत्र स्व0वशिष्ट कुमार ग्राम.रुधौली जिला बस्ती को प्रदान किया गया था।
- 5.4 जिला प्रशासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु 10.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 157500 घनमीटर प्रतिवर्ष साधारण बालू के खनन हेतु दिनांक 24.04.2018 को आशय पत्र/एल0ओ0वाई जारी किया गया था।
- 5.5 परियोजना प्रस्तावक ने 26.10.2018 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से (EC) प्राप्त की थी।
- 5.6 दिनांक 14.11.2018 को पट्टाविलेख निष्पादन के उपरान्त पट्टा धारक द्वारा दिनांक 14.11.2018 को खनन का कार्य शुरू किया गया था।
- 5.7 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पोर्टल के अनुसार स्वीकृत मात्रा 472500 घन मीटर (पट्टाविलेख के अनुसार) के सापेक्ष खनन प्रारम्भ होने से लेकर पट्टा निरस्तीकरण के दिनांक तक कुल 124473 घन मीटर साधारण बालू का उत्खनन किया गया है।
- 5.8 वर्तमान में खनन पट्टा ई-नीलामी सूचना दिनांक 09.05.2022 के अनुसार बल्लू पुत्र सीताराम ग्राम रगड़गंज कटरिया याकूबपुर। तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर को प्रदान किया गया है। जो कि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) में लम्बित है।

उपरोक्तानुसार भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के अनुसार उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्रों से पट्टा प्रारम्भ की तिथि से पट्टा निरस्तीकरण की तिथि तक उत्खनन की गयी मात्रा स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष कम है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।


मो0 दारुद अंसारी
जिला खनन अधिकारी
अम्बेडकरनगर।
19/03/2024



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 7091/सी-6/सा. 870/माडनिगं/अम्बेडकरनगर/2024

Dated 15/11/21
पंजीकृत

श्री गौरव सिंह,
पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह, निवासी ग्राम-दुल्हपुर, तहसील-जलालपुर,
जनपद-अम्बेडकर नगर।

Annexure No-2

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा दिनांक 21.03.2024 को प्रेषित निरीक्षण आख्यानानुसार जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 28.10.2017 को निर्गत खनन पट्टा के माध्यम से ग्राम-मांझा, इस्माइलपुर, वेलदहा, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-4ख, क्षेत्रफल 3.421 हेक्टेयर खनन व परिवहन करने हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें आवेदक श्री गौरव सिंह, पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह, निवासी ग्राम-दुल्हपुर, तहसील-जलालपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 719/2023 News Item Titled "माफियाओं को किसी का डर नहीं, इस जिले में चैरोकोटोक हो रहा अवैध खनन" Appearing in Hindustan dated 22.11.2023 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दि० 18.12.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 29.01.2024 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

"..... 1. Village- Majha Ismailpur Beldaha, Tehsil-Tanda, District-Ambedkar Nagar.

- 1.1. The lease is located at Gata No. 4 kha and having total area of 3.421 hectares. The mining area is situated on River Ghaghra/Saryu.
- 1.2. During inspection, mining operation was not observed at the site. It was informed by Mining Department that mining operation is closed since 19.12.2018 due to nonsubmission of royalty. At site, local villagers also informed to joint committee that no mining activity had been carried out since more than 05 years.
- 1.3. The mining lease was granted to Sh, Gaurav Singh, S/o-Vindhyachal Singh, VillageDulhupur, Tehsil-Jalalpur, District-Ambedkar Nagar as per auction notice dated 04.09.2017.
- 1.4. Letter of Intent (Lol) was issued by the District Administration to the Project Proponent on 28.10.2017. The Lol was issued for 3.421 hectares mine lease area for the period of 5 years. As per auction notice, the estimated quantity of ordinary sand was 82104 cubic meter per annum.
- 1.5. The Project Proponent had obtained Environmental Clearance (EC) from District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) on 16.01.2018. Copy of EC is annexed as Annexure No. -3.
- 1.6. The lease deed was signed between PP and District Administration for excavation of sand on 24.01.2018 and mining was started on 24.01.2018.
- 1.7. As per portal of Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, total 70989 cubic meter ordinary sand has been excavated by project proponent since mining started against permitted quantity of 82104 cubic meter (as per deed).
- 1.8. The mining activity was carried out without obtaining CTE and CTO from UPPCB....."

यह कि उपरोक्त यर्णित संयुक्त समिति की आख्यानानुसार खनन पट्टे हेतु दस्तावेज हस्ताक्षर की प्रक्रिया जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर एवं पट्टा आवेदक के मध्य दिनांक 24.01.2018 को सम्पादित हुई तथा खनन कार्य दिनांक 24.01.2018 को प्रारम्भ किया गया। अग्रेतर खनन विभाग द्वारा उक्त खनन कार्य को दिनांक 19.12.2018 को बन्द करा दिया गया।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल एवं कलस्टर में स्थापित खनन पट्टों को लाल श्रेणी एवं अन्य 05 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले खनन पट्टों को नारंगी श्रेणी में आच्छादित किया गया है, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत पूर्व सहमति आवश्यक है।

समाप्त
8/15/24

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या की आख्यानुसार पट्टा धारक श्री गौरव सिंह, पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह, निवासी ग्राम-दुल्हपुर, तहसील-जलालपुर, अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 24.01.2018 से दिनांक 18.12.2018 तक उपरोक्त ग्राम-गाँजा, इस्माइलपुर, बेलदहा, तहसील-टाण्डा, अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-4ख पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, आपकी इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के अज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि पट्टा धारक श्री गौरव सिंह, पुत्र श्री विन्ध्याचल सिंह, निवासी ग्राम-दुल्हपुर, तहसील-जलालपुर, अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 24.01.2018 से दिनांक 18.12.2018 तक उपरोक्त ग्राम-गाँजा, इस्माइलपुर, बेलदहा, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-4ख पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, अयोध्या द्वारा पत्र दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से इकाई के विरुद्ध उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 24.01.2018 से दिनांक 18.12.2018 तक (वर्षा ऋतु के माह यथा जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर को छोड़कर) कुल 237 उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

मा० एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 6250/- प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution Index)=50, N (Number of days)=1, R (Penalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)= 1 for Population between 1 to 5 million. लिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

यह कि क्यों न आपकी इकाई के विरुद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये के कारण रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 24.01.2018 से दिनांक 18.12.2018 तक) 237 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रू० 14,81,250/- (रू० चौदह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरुद्ध रू० 14,81,250/- (रू० चौदह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की दर से उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

०६/११/२४



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. सी-6/एच.ओ.आई. / माइनिंग / अम्बेडकर नगर / 2024

Dated 15/1/24
पंजीकृत

श्री शिव प्रसाद चौधरी,
पुत्र श्री रामफेर निवासी-ग्राम-जयपुरवा, गांधीनगर,
जनपद-अम्बेडकर नगर।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा दिनांक 21.03.2024 को प्रेषित निरीक्षण आख्यानानुसार जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा नीलामी सूचना दिनांक 22.05.2018 को निर्गत खनन पट्टा के माध्यम से ग्राम-अजमेरी, वादशाहपुर, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के गाटा संख्या-830मि०, 831मि० एवं 832मि०, क्षेत्रफल-5.50 हेक्टेयर खनन व परिवहन करने हेतु अनुज्ञा निर्गत किया गया है, जिसमें आवेदक श्री शिव प्रसाद चौधरी, पुत्र श्री रामफेर निवासी-ग्राम-जयपुरवा, गांधीनगर, जनपद-अम्बेडकर नगर है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 719/2023 News Item Titled "माफियाओं को किसी का डर नहीं, इस जिले में बेरोकटोक हो रहा अवैध खनन" Appearing in Hindustan dated 22.11.2023 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 29.01.2024 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

"..... 1. Village-Ajmeri Badshahpur, Tehsil-Tanda, District-Ambekar Nagar.

2.1 The lease is located at Gata No. 830 mi, 831 mi, 832 mi and having total area of 5.50 hectares. The mining area is situated on River Ghaghra/Saryu.

2.2 During inspection, it was observed that mining operation has not been carried out. Ttis informed by Mining Department that mining operation is closed since 29.06.2020 due to non-submission of royalty. Local villagers also Informed, that no mining activity is being carried out since more than 03 years.

2.3 The mining lease was granted to Sh. Shiv Prasad Chaudhary, S/o-Shri Rampher, Village-Jaipurwa, Gandhi Nagar, District-Ambekar Nagar as per auction notice dated 22.05.2018.

2.4 Letter of Intent (Lol) was issued by the District Administration to the Project Proponent on 19.06.2018. The Lol was issued for 5.50 hectares mining lease area for the period of 5 years. As per auction notice, the estimated quantity of ordinary sand is 93500 cubic meter per annum.

2.5 The Project Proponent has obtained Environmental Clearance (EC) from State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) on 18.12.2018. Copy of EC is annexed as Annexure No.

2.6 The lease deed was signed between PP and District Administration for excavation of sand on 03.01.2019 and mining had been started on 03.01.2019.

2.7 As per portal of Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, total 40059 cubic meter ordinary sand has been excavated by project proponent since mining started against permitted quantity of 93500 cubic meter (as per deed).

2.8 The mining activity was carried out without obtaining CTE and CTO from UPPCB....."

यह कि उपरोक्त वर्णित संयुक्त समिति की आख्यानानुसार खनन पट्टे हेतु जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा पट्टा आवेदक को एल.ओ.आई. दिनांक 19.06.2018 को निर्गत की गयी तथा खनन कार्य दिनांक 03.01.2019 को प्रारम्भ किया गया। अग्रेतर खनन विभाग द्वारा उक्त खनन कार्य को दिनांक 29.06.2020 को बन्द करा दिया गया।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल एवं कलस्टर में स्थापित खनन पट्टों को लाल श्रेणी एवं अन्य 05 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले खनन पट्टों को नारंगी श्रेणी में आच्छादित किया गया है, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत पूर्व सहमति आवश्यक है।

ca email sent
दिनांक 14

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या की आख्यानुसार पट्टा धारक श्री शिव प्रसाद चौधरी, पुत्र श्री रामफेर निवासी-ग्राम-जयपुरवा, गांधीनगर, जनपद-अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 03.01.2019 से दिनांक 28.06.2020 तक उपरोक्त ग्राम-अजमेरी, बादशाहपुर, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के गाटा संख्या-830मि०, 831मि० एवं 832मि०, क्षेत्रफल-5.50 हेक्टेयर पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, आपकी इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि पट्टा धारक श्री शिव प्रसाद चौधरी, पुत्र श्री रामफेर निवासी-ग्राम-जयपुरवा, गांधीनगर, जनपद-अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 03.01.2019 से दिनांक 28.06.2020 तक उपरोक्त ग्राम-अजमेरी, बादशाहपुर, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के गाटा संख्या-830मि०, 831मि० एवं 832मि०, क्षेत्रफल-5.50 हेक्टेयर पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, अयोध्या द्वारा पत्र दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से इकाई के विरुद्ध उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 03.01.2019 से दिनांक 28.06.2020 तक (वर्षा ऋतु के माह यथा जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर को छोड़कर) कुल 451 उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

मा० एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/- प्रतिदिन आती है, जिसमें PI (Pollution Index)=80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)= 1 for Population between 1 to 5 million. लिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

यह कि क्यों न आपकी इकाई के विरुद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये के कारण रू० 10000/- प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 03.01.2019 से दिनांक 28.06.2020 तक) 451 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रू० 45,10,000/- (रू० पैतालिस लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।


उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरुद्ध रू० 45,10,000/- (रू० पैतालिस लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

ok





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 2091/19 सी-6/सा. 868/माइनिंग/गोण्डा/2024

Dated 15-11-24
पंजीकृत

श्री राम वहादुर,
पुत्र श्री विशेषर, निवासी-ग्राम-चौबेपुर, चक्रसूलपुर, नवाबगंज, तहसील-तरबगंज,
जनपद-गोण्डा।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा दिनांक 21.03.2024 को प्रेषित निरीक्षण आख्यानुसार जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा ई-नीलामी सूचना दिनांक 04.09.2017 को निर्गत खनन पट्टा के माध्यम से ग्राम-मांझा वर्गी निजामपुर, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-24मि०, क्षेत्रफल-5.05 हेक्टेयर खनन व परियहन करने हेतु अनुज्ञा निर्गत किया गया है, जिसमें आवेदक श्री राम वहादुर, पुत्र श्री विशेषर, निवासी-ग्राम-चौबेपुर, चक्रसूलपुर, नवाबगंज, तहसील-तरबगंज, जनपद-गोण्डा है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 719/2023 News Item Titled "माफियाओं को किसी का डर नहीं, इस जिले में वेरोकटोक हो रहा अवैध खनन" Appearing in Hindustan dated 22.11.2023 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 29.01.2024 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

"..... 1. Village- Majha Vargi Nizampur, Tehsil-Tanda, District-Ambedkar Nagar.

- 3.1 The lease is located at Gata No. 24 mi and having total area of 5.05 hectares. The mining area is situated on River Ghaghra/Saryu.
- 3.2 During inspection, it was observed that mining operation has not been carried out. It is informed by mining department that mining operation is closed since 22.07.2021 due to non-submission of royalty. Local villagers also informed, that no mining activity is carried out since more than 02 years.
- 3.3 The mining lease was granted to Sh. Rambahadur, S/o-Vishesar, Village-Chaubepur, Chakrasoolpur, Nawabganj, Tehsil-Tarabganj, District-Ambedkar Nagar as per auction notice dated 04.09.2017.
- 3.4 Letter of Intent (LoI) was issued by the District Administration to the Project Proponent on 08.11.2017. The LoI was issued for 5.05 hectares mine lease area for the period of 5 years. As per auction notice, the estimated quantity of ordinary sand is 1,21,200 cubic meter per annum.
- 3.5 The Project Proponent has obtained Environmental Clearance (EC) from State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) on 23.01.2018. Copy of EC is annexed as Annexure No. -5.
- 3.6 The lease deed has been signed between PP and District Administration for excavation of sand on 27.01.2018 and mining has been started on 27.01.2018.
- 3.7 As per portal of Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, total 265036 cubic meter ordinary sand has been excavated by project proponent since mining started as against permitted quantity of 484800 cubic meter (as per deed).
- 3.8 The mining activity was carried out without obtaining CTO from UPPCB....."

यह कि उपरोक्त वर्णित संयुक्त समिति की आख्यानुसार खनन पट्टे हेतु जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा पट्टा आवेदक को एल.ओ.आई. दिनांक 08.11.2017 को निर्गत की गयी तथा खनन कार्य दिनांक 27.01.2018 को प्रारम्भ किया गया। अग्रेतर खनन विभाग द्वारा उक्त खनन कार्य को दिनांक 22.07.2021 को बन्द करा दिया गया।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल एवं कलस्टर में स्थापित खनन पट्टों को लाल श्रेणी एवं अन्य 05 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले खनन पट्टों को नारंगी श्रेणी में आच्छादित किया गया है, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत पूर्व सहमति आवश्यक है।

email sent
8/11/24

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या की आख्यानुसार पट्टा धारक श्री राम बहादुर, पुत्र श्री विशेषर, निवासी-ग्राम-चौबेपुर, चक्रसूलपुर, नवावगंज, तहसील-तरवगंज, जनपद-गोण्डा द्वारा दिनांक 27.01.2018 से दिनांक 21.07.2021 तक उपरोक्त ग्राम-मांझा वर्गी निजामपुर, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-24मि०, क्षेत्रफल-5.05 हेक्टेयर पर राज्य बोर्ड से विना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, आपकी इकाई का उचित कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि पट्टा धारक श्री राम बहादुर, पुत्र श्री विशेषर, निवासी-ग्राम-चौबेपुर, चक्रसूलपुर, नवावगंज, तहसील-तरवगंज, जनपद-गोण्डा द्वारा दिनांक 27.01.2018 से दिनांक 21.07.2021 तक उपरोक्त ग्राम-मांझा वर्गी निजामपुर, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-24मि०, क्षेत्रफल-5.05 हेक्टेयर पर राज्य बोर्ड से विना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, अयोध्या द्वारा पत्र दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से इकाई के विरुद्ध उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 27.01.2018 से दिनांक 21.07.2021 तक (वर्षा ऋतु के माह यथा जुलाई, अगस्त एवं शितम्बर को छोड़कर) कुल 996 उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

मा० एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 10000/- प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution Index)=80, N (Number of days)=1, R (Penalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)=1 for Population between 1 to 5 million. लिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

यह कि क्यों न आपकी इकाई के विरुद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये विना ही खनन कार्य किये के कारण रू० 10000/- प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 27.01.2018 से दिनांक 21.07.2021 तक) 996 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रू० 99,60,000/- (रू० निनानवे लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरुद्ध रू० 99,60,000/- (रू० निनानवे लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)







उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. / सी-6/सां. 872/आई. 1.1/बस्त/2024

Dated 15-11-24

-पंजीकृत.

श्री आशीष कुमार जायसवाल,
पुत्र स्व0 वशिष्ठ कुमार निवासी-ग्राम-रुधौली,
जनपद-बस्ती।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा दिनांक 21.03.2024 को प्रेषित निरीक्षण आख्यानुसार जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा ई-नीलामी सूचना दिनांक 27.02.2018 को निर्गत खनन पट्टा के माध्यम से ग्राम-मांजा फरीदपुर तप्पा हवेली, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-01नि0, क्षेत्रफल-10.50 हेक्टेयर खनन व परिवहन करने हेतु अनुज्ञा निर्गत किया गया है, जिसमें आवेदक श्री आशीष कुमार जायसवाल, पुत्र स्व0 वशिष्ठ कुमार निवासी-ग्राम-रुधौली, जनपद-बस्ती है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 719/2023 News Item Titled 'माफियाओं को किसी का डर नहीं, इस जिले में बेरोकटोक हो रहा अवैध खनन' Appearing in Hindustan dated 22.11.2023 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 29.01.2024 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के चुसंगत अंश निम्नवत है:-

"..... 1. Village-Majha Faridpur Tappa Haveli, Tehsil-Aalapur, District-Ambedkar Nagar.

- 5.1 The lease is located at Gata No. | mi and having total area of 10.5 hectares. The mining area is situated on River Ghaghra/Saryu.
- 5.2 During inspection, mining operation was not observed. It is informed by mining department that mining operation is closed since 30.12.2020. Local villagers also informed that no mining activity has been carried out since more than 03 years.
- 5.3 The mining lease was earlier granted to Sh. Ashish Kumar Jaiswal, S/o-Late Vashisth Kumar, Village-Rudhali, District-Basti as per e-auction notice dated 27.02.2018.
- 5.4 Letter of Intent (Lol) was issued by the District Administration to the Project Proponent on 24.04.2018. The Lol was issued for 10.5 hectares mine lease area for the period of 5 years. As per auction notice, the estimated quantity of ordinary sand was 157500 cubic meter per annum.
- 5.5 The Project Proponent has obtained Environmental Clearance (EC) from State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) on 26.10.2018. Copy of EC is annexed as Annexure No. -8.
- 5.6 The lease deed has been signed between PP and District Administration for excavation of sand on 14.11.2018 and mining has been started on 14.11.2018.
- 5.7 As per portal of Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, total 124473 cubic meter ordinary sand has been excavated by project proponent since mining started as against permitted quantity of 472500 cubic meter (as per deed)
- 5.8 District Administration has closed mining activity on 30.12.2020 due to nonsubmission of royalty.
- 5.9 The mining activity was carried out without obtaining CTO from UPPCB.....

यह कि उपरोक्त वर्णित संयुक्त समिति की आख्यानुसार खनन पट्टे हेतु जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा पट्टा आवेदक को एल.ओ.आई. दिनांक 24.04.2018 को निर्गत की गयी तथा खनन कार्य दिनांक 14.11.2018 को प्रारम्भ किया गया। अग्रेतर खनन विभाग द्वारा उक्त खनन कार्य को दिनांक 30.12.2020 को बन्द करा दिया गया।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल एवं कलस्टर में स्थापित खनन पट्टों को लाल श्रेणी एवं अन्य 05 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले खनन पट्टों को नारंगी श्रेणी में आच्छादित किया गया है, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत पूर्व सहमति आवश्यक है।

envairont
21/11/24

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या की आख्यानुसार पट्टा धारक श्री आशीष कुमार जायसवाल, पुत्र स्व० वशिष्ठ कुमार निवासी-ग्राम-रुधौली, जनपद-वरती द्वारा दिनांक 14.11.2018 से दिनांक 29.12.2020 तक उपरोक्त ग्राम-गांजा फरीदपुर तप्पा हवेली, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-01मि०, क्षेत्रफल-10.50 हेक्टेयर पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, आपकी इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि पट्टा धारक श्री आशीष कुमार जायसवाल, पुत्र स्व० वशिष्ठ कुमार निवासी-ग्राम-रुधौली, जनपद-वरती द्वारा दिनांक 14.11.2018 से दिनांक 29.12.2020 तक उपरोक्त ग्राम-गांजा फरीदपुर तप्पा हवेली, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-01मि०, क्षेत्रफल-10.50 हेक्टेयर पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, अयोध्या द्वारा पत्र दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से इकाई के विरुद्ध उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 14.11.2018 से दिनांक 29.12.2020 तक (वर्षा ऋतु के माह यथा जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर को छोड़कर) कुल 593 उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

मा० एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/- प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution Index)=80, N (Number of days)=1, R (Penalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)=1 for Population between 1 to 5 million. लिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

यह कि क्यों न आपकी इकाई के विरुद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये के कारण रू० 10000/- प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 14.11.2018 से दिनांक 29.12.2020 तक) 593 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रू० 59,30,000/- (रू० उनसठ लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरुद्ध रू० 59,30,000/- (रू० उनसठ लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

ॐ श्री

↓



80
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. /सी-6/सा0-869/माइनिंग/अम्बेडकर नगर/24

Dated 15-11-2024

-पंजीकृत-

श्री अजय कुमार,
पुत्र श्री जय प्रकाश, ग्राम-ईश्वर नगर, इत्तिफातगंज, तहसील-टाण्डा,
जनपद-अम्बेडकर नगर।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा दिनांक 21.03.2024 को प्रेषित निरीक्षण आख्यानानुसार जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा ई-नीलामी सूचना दिनांक 27.02.2018 को निर्गत खनन पट्टा के माध्यम से ग्राम-इसौरी नसीरपुर, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-01मि0, क्षेत्रफल-7.5 हेक्टेयर खनन व परिवहन करने हेतु अनुज्ञा निर्गत किया गया है, जिसमें आवेदक श्री अजय कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश, ग्राम-ईश्वर नगर, इत्तिफातगंज, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 719/2023 News Item Titled "माफियाओं को किसी का डर नहीं, इस जिले में बेरोकटोक हो रहा अवैध खनन" Appearing in Hindustan dated 22.11.2023 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 29.01.2024 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

"..... 1. Village-Sauri Nasirpur, Tehsil-Aalapur, District-Ambedkar Nagar.

- 4.1 The lease is located at Gata No. 01 mi and having total area of 7.5 hectares. The mining area is situated on River Ghaghra/Saryu.
- 4.2 Earlier, the mining lease for ordinary sand was granted to Sh. Ajay Kumar, SloJaiprakash, Village-Ishwar Nagar, (Itefgan), Tehsil-Tanda, District-Ambedkar Nagar as per e-auction notice dated 27.02.2018 for 05 years and 7.5 hectares. LOI was issued on 24.04.2018 for 112500 cubic meter.
- 4.3 EC was granted to the PP on 26.10.2018 and the lease deed has been signed between PP and District Administration for excavation of sand on 19.12. 2018. The District Administration has closed mining activity on 29.06.2020 due to non-submission of royalty. As per portal of Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, total 52743 cubic meter ordinary sand has been excavated by project proponent since mining started as against permitted quantity Of 225000 cubic meter (as per deed).
- 4.4 The carlier mining activity was carried out without obtaining CTE and CTO from UPPCB.
- 4.5 During inspection, the mining project was found in operational phase. The present mining lease is granted to M/s Jaiswal Rice Dal and Oil Mill, Proprietor- Ramji Jaiswal, Marwatia Bansi Road, Basti as per e-auction notice dated 09.05.2022.
- 4.6 Letter of Intent (Lol) was issued by the District Administration to the Project Proponent on 11.07.2022. The Lol was Issued for 7.5 hectares mine lease area for the period of 5 years. As per auction notice, the estimated quantity of ordinary sand is 75,000 cubic meter per annum.
- 4.7 The Project Proponent (PP) has obtained Environmental Clearance (EC) from State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) on 20.11.2023. Copy of EC is annexed as Annexure No. -6.
- 4.8 The lease deed has been signed between PP and District Administration for excavation of sand on 16.01.2024 and mining has been started on 16.01.2024.
- 4.9 As per portal of Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, total 3379 cubic meter (till 09.02.2024) ordinary sand has been excavated by project proponent since mining started as against permitted quantity of 75,000 cubic meter....."

यह कि उपरोक्त वर्णित संयुक्त समिति की आख्यानानुसार खनन पट्टे हेतु जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा पट्टा आवेदक को एल.ओ.आई. दिनांक 24.04.2018 को निर्गत की गयी तथा खनन कार्य दिनांक 19.12.2018 को प्रारम्भ किया गया। अग्रेतर खनन विभाग द्वारा उक्त खनन कार्य को दिनांक 29.06.2020 को बन्द करा दिया गया।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल एवं कलस्टर में स्थापित खनन पट्टों को लाल श्रेणी एवं अन्य 05 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले खनन पट्टों को नारंगी श्रेणी में आच्छादित किया गया है, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत पूर्व सहमति आवश्यक है।

माइनिंग विभाग
15/11/24

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण-बोर्ड, आयोध्या की आख्यानुसार पट्टा धारक श्री अजय कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश, ग्राम-ईश्वर नगर, इत्तिफातगंज, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 19.12.2018 से दिनांक 28.06.2020 तक उपरोक्त ग्राम-इसीरी नरीरपुर, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-01मि०, क्षेत्रफल-7.5 हेक्टेयर पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, आपकी इकाई का उक्त कृत्य जलु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 के आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि पट्टा धारक श्री अजय कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश, ग्राम-ईश्वर नगर, इत्तिफातगंज, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 19.12.2018 से दिनांक 28.06.2020 तक उपरोक्त ग्राम-इसीरी नरीरपुर, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकर नगर के खनन पट्टा गाटा संख्या-01मि०, क्षेत्रफल-7.5 हेक्टेयर पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आयोध्या द्वारा पत्र दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से इकाई के विरुद्ध उल्लंघनकारी अवधि दिनांक 19.12.2018 से दिनांक 28.06.2020 तक (वर्षा ऋतु के माह यथा जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर को छोड़कर) कुल 466 उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।


मा० एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10000/- प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution Index)=80, N (Number of days)=1, R (Penalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)=1 for Population between 1 to 5 million. लिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

यह कि क्यों न आपकी इकाई के विरुद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य किये के कारण रू० 10000/- प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 19.12.2018 से दिनांक 28.06.2020 तक) 466 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रू० 46,60,000/- (रू० छियालिस लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरुद्ध रू० 46,60,000/- (रू० छियालिस लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

ok 

1